

नेशनल लोक अदालत दिनांक 11 / 02 / 2023

MJCR 29/2022

मनीषा बनाम राकेश

आवेदिका उपस्थित।

अनावेदक उपस्थित।

प्रकरण आदेश हेतु नियत है।

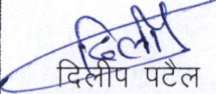
परिवादी के द्वारा पूर्व पेशी दिनांक पर आदेश पत्रिका के हाशिये में इस आशय की टीप लेख की थी कि, संपूर्ण राशि प्राप्त की है, अनावेदक पर अब उनका कोई बकाया नहीं है, इससे उक्त प्रकरण पूर्ण रूपेण पूर्ण संतुष्टि के आधार पर समाप्त किया

जाना न्यायहित में है।

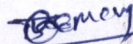
उभयपक्षों के आवेदिका की पूर्ण संतुष्टि में, अनावेदक के विरुद्ध धारा 125(3) दंप्रसं का प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर विधिवत् दाखिल अभिलेखागार हो।

उपरोक्तानुसार प्रकरण लोक अदालत में समाप्त किया जाता है।


दिलीप पटेल
सामाजिक
कार्यकता
सदस्य

के एल प्रजापति
अधिवक्ता सदस्य
अनुपस्थित


राजेंद्र बर्मन
17/02/23
लोक अदालत खंडपीठ
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पथरिया जिला दमोह